सेवामें,

जनसूचना अधिकारी
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
जनपद-फैजाबाद

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत जानकारी प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमान् जी प्रार्थी जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत निम्न जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रश्न-1 पायनियर ई-रिक्शा सेल्स एण्ड सर्विस को ई रिक्शा बेचने का प्रमाण पत्र 23.08.2017 को जारी किया गया क्या इससे पहले फर्म ने एक भी रिक्शे नहीं बेचे?

प्रश्न-2- यदि ये बिना व्यापार प्रमाण पत्र के इससे पूर्व रिक्शा बेचा है तो क्या इन पर कोई आर्थिक जुर्माने की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए?

प्रश्न-3 क्या बिना व्यापार प्रमाण पत्र वाली फर्म से कोई गाड़ी खरीदने पर सारा दोष ग्राहक का होता है। ई-रिक्शा चालक मध्यम व कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं यदि उन्होनें ऐसी भ्रष्ट दुकान से ई-रिक्शा खरीदा तो सारी गलती उन्ही की थी इसलिए उन्हीं से भरा जुर्माना वसूला गया जबकि फर्म को केवल कागजी FIR दर्ज कराते हुए छोड़ दिया गया?

प्रश्न-4 यदि आपके क्षेत्र में कोई अवैध दुकान संचालित की जा रही है तथा इससे कोई ग्राहक प्रभावित होता है तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं?

प्रश्न-5 क्या जिस तरह से बिना कोई आर्थिक जुर्माने के केवल FIR दर्ज कराकर छोड़ दिया गया उसी प्रकार से इतनी बड़ी धाँधली पाए जाने के बावजूद ई-रिक्शा को पंजीकरण कराने के नियम बताकर छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। यदि किसी शिकायत में दोष दोनों पक्ष का है तो लगे आर्थिक जुर्माने का भार केवल ग्राहक को वहन करना होगा। फर्म केवल कागजी कारवाई पूरी करते हुए बच जाता है जबकि फर्म ई-रिक्शा बेचने पर लाभ लेती है।

प्रश्न-5 दिनाँक 08/05/2017 को सम्बन्धित फर्म के क्रम में जारी नोटिस का जवाब न मिलने पर कौन सी कार्यवाही की गई?

प्रश्न-6 क्या आपको किसी फर्म द्वारा विक्रीत ई-रिक्शों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है यदि अधिकार प्राप्त है तो TC प्राप्त किए जाने से पूर्व उपरोक्त फर्म द्वारा बेचे गए ई-रिक्शों की जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की जा सकी। क्या इसमें विभाग के अधिकारी भी मिले तो नहीं है।

प्रश्न-7 पूर्व के पूछेगए RTI में कार्यालय द्वारा बताया गया कि अपंजीकृत वाहनों का संचालन करने पर जिम्मेदारी संयुक्त रूप से डीलर एवं क्रेता की होती है तो उपरोक्त फर्म द्वारा बेचे गए ई-रिक्शों पर

लगाए गए जुर्माने का दायित्व फर्म का नही है। इसके अतिरिक्त ई रिक्शा निरुद्ध रहने के काल में उनको होने वाली आर्थिक, मानसिक क्षति का जिम्मेदार फर्म नही है।

प्रश्न-9 वैध प्रमाण पत्र फर्म ने किन कम्पनियों के ई-रिक्शा बेचने के लिए प्राप्त किया इसके अतिरिक्त यदि फर्म द्वारा किसी अन्य कम्पनी का ई-रिक्शा बेचा जाता है तो इसका क्या दोष RTO व फर्म को जाता है या नही?

प्र०10- ई-रिक्शा जो फर्म द्वारा विक्रीत थे वे किसके थे व उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया गया?

दिनांक- 31/08/017

प्रार्थी

अभिषेक श्रीवास्तव
10/61 मो० घोसियाना
रुदौली जनपद फैजाबाद
मो० 9169167025